सदस्य, राजस्व बोर्ड

बनाम

आर्थर पॉल बेन्टहाल

[एस. आर. दास, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, भगवती, वेंकटरामा अय्यर, जफर इमाम और चंद्रशेखर अय्यर न्यायमूर्तिगण.]

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (1899 का 11), धारा 5 और 6- धारा 5 में अभिव्यक्ति "सुभिन्न मामले" और धारा 6 में "वर्णन"- क्या अलग-अलग अर्थ हैं-प्रश्नगत लिखत-क्या इसमें सुभिन्न मामले शामिल हैं।

एस. आर. दास, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, वेंकटरामा अय्यर, जफ़र इमाम और चन्द्रशेखर अय्यर न्यायमूर्तिगण द्वारा अभिनिर्धारित किया गया। (न्यायमूर्ति भगवती असहमति जताते हुए) यह तर्क बलहीन है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 5 में शब्द "मामले" का उद्देश्य धारा-6 के "वर्णन" शब्द के समान अर्थ व्यक्त करना था। अपने प्रचलित अर्थ में अभिव्यक्ति "सुभिन्न मामले" सुभिन्न "श्रेणियों" से कुछ अलग होना दर्शाती है। दो लेन-देन एक ही विवरण के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी, वे अलग-अलग हो सकते हैं।

जब किसी क़ानून में दो लगातार प्रावधानों में अलग-अलग दो शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उनका उपयोग एक ही अर्थ में किया गया है और इसलिए धारा 5 में अभिव्यक्ति "सुभिन्न मामलें" और धारा 6 में अभिव्यक्ति "विवरण" के अलग-अलग अर्थ हैं

यह स्थापित कानून है कि जब दो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करने में शामिल होते हैं, तो इसमें विशिष्ट मामला शामिल हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पावर के विषय में निष्पादकों के हित अलग-अलग हैं या नहीं। इसके विपरीत, यदि एक व्यक्ति दो अलग-अलग क्षमताओं में संपत्तियां रखता है, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से असंबद्ध है, उन दोनों के संबंध में एक पाॅवर निष्पादित करता है, तो तार्किक रूप से लिखत में सुभिन्न मामलें शामिल होना माना जाना चाहिए। अभिनिर्धारित किया कि प्रश्नगत लिखत प्रदर्श-ए- पाॅवर ऑफ अटॉर्नी में उल्लेखित प्रतिवादी की कई क्षमताओं के संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा-5 में वर्णित अर्थानुसार सुभिन्न मामलें शामिल हैं।

न्यायमूर्ति भगवती द्वारा (असहमति)- यह तथ्य कि पावर ऑफ अटॉर्नी का दाता इसे अलग-अलग क्षमताओं में निष्पादित करता है, यह ऐसी लिखत बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें सुभिन्न मामलें शामिल हैं और इसलिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा-5 के अर्थ के दायरे में

अधिनियम के तहत उस मामले को सम्मिलित करते हुए या ऐसे मामले से संबंधित उस प्रत्येक अलग लिखत पर प्रभार्य कुल स्टाम्प डयूटी की राशि से मुहर लगाने की आवश्यकता है।

प्रशनगत लिखत प्रदर्श-ए में सुभिन्न मामले शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें केवल एक मामला शामिल है और यह मामला दाता द्वारा ग्रहिता के पक्ष में एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादन का है जो ग्रहिता को उसकी सभी क्षमताओं में कार्य करने के लिए अधीकृत करता है।

यह सामान्य पाॅवर ऑफ अटॉर्नी की प्रकृति है कि दाता जो भी अलग-अलग कार्य करने में सक्षम है, वे सभी एक लिखित में शामिल होते हैं, जिसे उसके द्वारा निष्पादित किया जाता है और इसलिए दाता जो भी कार्य करने में सक्षम है, चाहे वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में हो या ट्रस्टी या निष्पादक या प्रशासक के रूप में प्रतिनिधि क्षमता में, वे सभी लिखत के भीतर शामिल हैं और भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 5 के संचालन को आकर्षित करते हुए इस तरह से निपटाए जाने वाले सुभिन्न मामले नहीं हैं।

सचिव, राजस्व बोर्ड, मद्रास बनाम अलगप्पा चेट्टियार आई.एल.आर. [1937] मद्रास। 553, एंसेल बनाम इनलेंड राजस्व आयुक्त [1929] 1 के.बी. 608, रिवर्सनरी इंटरेस्ट सोसाइटी बनाम इनलेंड राजस्व आयुक्त [1906] 22 टी.एल.आर. 740, डेविस बनाम विलियम्स [1804] 104

ई.आर. 358, बोवेन बनाम एशले [1805] 127 ई.आर. 467, गुडसन बनाम फोर्ब्स [1815 128 ई.आर. 999, फ्रीमैन बनाम इनलेंड राजस्व आयुक्त [1870-71] एल.आर. 6 एक्सच. 101, एलन बनाम मॉरिसन [1828] 108 ई.आर. 1152, स्टाम्प अधिनियम के तहत संदर्भ, धारा 46, [1886] आई.एल.आर. 9 मद्रास. 358, स्टाम्प अधिनियम के तहत संदर्भ, धारा 46, [1891] आई.एल.आर. 15 मद्रास. 386, स्टाम्प अधिनियम के तहत संदर्भ, धारा 46, [1892] 2 एम.एल.जे. 178, और विद्या वरूथी बनाम बालुसामी, 48 आई.ए. 302, संदर्भित.

क्षेत्राधिकार: सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार;1954 की सिविल अपील संख्या 159।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 1951 के मामला संख्या 214 में पारित फैसले और आदेश दिनांक 27 जून 1952 के विरूद्ध विशेष अनुमति द्वारा अपील- भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 57.

एम. सी. सीतलवाड, भारत के अटॉर्नी-जनरल (बी. सेन. और पी.के. बोस, उनके साथ) अपीलकर्ता की ओर से।

एस. चौधरी, (एस.एन. मुखर्जी, बी.एन. घोष और ए.के. बसु, उनके साथ) प्रत्यर्थी की से।

1955. 4 अक्टूबर.

न्यायमूर्ति वेंकटरामा अय्यर-यह अपील भारतीय स्टाम्प अधिनियम ॥ 1899 की धारा 5 के तहत एक प्रश्न उठाती है। प्रतिवादी, वास्तविक समय में, मेसर्स बर्ड एंड कंपनी लिमिटेड और मेसर्स एफ.डब्ल्यू. हेइल्जर्स एंड कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक था जो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कई कंपनियों के प्रबंध एजेंट के रूप में कार्य कर रही थी। वह कई अन्य कंपनियों का निदेशक भी था और कई मौकों पर उसने कुछ कंपनियों के परिसमापक के रूप में, निष्पादक के रूप में या मृत व्यक्तियों की संपत्ति के प्रशासक के रूप में और विभिन्न संपत्तियों के ट्रस्टी के रूप में भी काम किया था। दिनांक 4-7-1949 को उसने स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के तहत कलकत्ता के कलेक्टर को पावर ऑफ अटॉर्नी पर देय शुल्क के निर्धारण के लिए आवेदन किया, जिसे कार्यवाही में प्रदर्श-ए के रूप में चिह्नित किया गया है एवं जिसे उन्होंने निष्पादित करने का प्रस्ताव दिया था। उस पाॅवर के द्वारा, उन्होंने मेसर्स डगलस चिशोल्म फेयरबैर्न और जॉन जेम्स ब्रिम्स सदरलैंड को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उसकी व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ निष्पादक, प्रशासक, ट्रस्टी, प्रबंध एजेंट, परिसमापक और अन्य सभी क्षमताओं में उनके लिए कार्य करने का अधिकार दिया था। कलेक्टर ने इस मामले को अधिनियम की धारा 56(2) के तहत मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण को निर्णय के लिए भेजा, जिन्होंने अंततः इसे धारा 57 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय में भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी राय दी कि- पाॅवर पर स्टांप

शुल्क "जितनी संबंधित क्षमताओं के लिए प्रिंसिपल पाॅवर को निष्पादित करता है" देय था। निर्देश की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस दास और जस्टिस एस. आर. दास गुप्ता, की एक खंडपीठ ने की, जो अपनी राय में भिन्न थे। विद्वान मुख्य न्यायाधीश, जिनके साथ जस्टिस दास सहमत थे, ने निर्धारण किया कि निष्पादक की विभिन्न क्षमताएं अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न मामले नहीं बनती हैं, और यह कि लिखत पर देय उचित शुल्क 1922 के बंगाल अधिनियम III की धारा 13 द्वारा संशोधित स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 48 (डी) के तहत 10 रूपये था। जस्टिस एस.आर. दास गुप्ता की राय थी कि धारा 5 के उद्देश्य से निष्पादक की विभिन्न क्षमताएं सुभिन्न मामले थीं और यदि उन क्षमताओं में से प्रत्येक के संबंध में अलग-अलग लिखितों को निष्पादित किया गया होता तो वह लिखित देय कुल शुल्क राशि के साथ प्रभार्य था। परिणामस्वरूप प्रश्न का उत्तर बहुमत की राय के अनुसार प्रतिवादी के पक्ष में दिया गया। उस निर्णय के विरुद्ध राजस्व बोर्ड, पश्चिम बंगाल ने विशेष अनुमति द्वारा इस अपील को दायर किया और तर्क दिया है कि उक्त प्रश्नगत दस्तावेज़ में सुभिन्न मामले शामिल हैं, और उसे धारा 5 के अनुसार स्टाम्पित किया जाना चाहिए।

प्रश्न से संबंधित वैधानिक प्रावधान अधिनियम की धारा 3 से 6 में हैं। धारा 3 मुख्य धारा है और यह अधिनियमित करती है कि कुछ छूटों के

अधीन, अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक लिखित पर उचित शुल्क के रूप में उसमें इंगित राशि का शुल्क लगाया जाएगा। धारा 4 में कहा गया है कि जब किसी विक्रय, बंधक या समझाैते के मामले में लेनदेन को पूरा करने के लिए कई लिखतों का उपयोग किया जाता है, तो उनमें से केवल एक जिसे मूल लिखत कहा जाता है, अनुसूची । में उल्लिखित शुल्क के साथ प्रभार्य होता है, और अन्य लिखित प्रत्येक पर एक रुपये का शुल्क प्रभार्य है। धारा 5 अधिनियमित करती है कि कोई भी लिखत जिसमें कई सुभिन्न मामले समाविष्ट हैं या उनसे संबंधित हैं, वह ऐसे शुल्कों की संकलित रकम से प्रभार्य होगी, जिससे हर एक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उनसे संबंधित पृथक-पृथक लिखतें, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य होती हैं। धारा 6, जहाँ तक संबंधित है, वह इस प्रकार है:

> "अंतिम पूर्ववर्ती खंड के प्रावधानों के अधीन, एक लिखत जो इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह अनुसूची । में दो या अधिक विवरणों के भीतर आता है और जहां उसके तहत प्रभार्य शुल्क अलग-अलग हैं, वह केवल ऐसे शुल्कों में से उच्चतम शुल्क के साथ प्रभार्य होगा"।

इस अपील में निर्धारण का विषय धारा 5 में "सुभिन्न मामले" शब्द को दिए जाने वाले अर्थ के बारे में है। प्रत्यर्थी का तर्क जिसे नीचे की

अदालत में विद्वान न्यायाधीशों के बहुमत का समर्थन मिला, वह यह है कि धारा 5 में शब्द "मामले" धारा 6 में आने वाले "वर्णन" शब्द का पर्याय है और वे दोनों लिखत की कई श्रेणियों को संदर्भित करते हैं जो अनुसूची में निर्धारित हैं। इसके समर्थन में तर्क यह है कि धारा 5 में कहा गया है कि जब लिखत में सुभिन्न मामले समाविष्ट होते हैं या उनसे संबंधित होते हैं तो देय शुल्क इन मामलों में से प्रत्येक से संबंधित अलग-अलग लिखतों पर देय राशि का योग होता है। कोई लिखत धारा 3 के अंतर्गत तभी प्रभार्य होगा जब वह अनुसूची में उल्लिखित श्रेणियों में से एक के अंतर्गत आता हो। इसलिए, धारा 5 में जो व्यक्त किया गया है वह एक दस्तावेज में विभिन्न श्रेणियों के लिखतों जैसे कि विक्रय और बंधक, विक्रय और पट्टे या बंधक और पट्टे और इसी तरह के अन्य लिखत का संयोजन है। लेकिन जब श्रेणी एक और वही हो तब धारा 5 का कोई अनुप्रयोग नहीं रह जाता है, और चूँकि, वर्तमान मामले में, प्रश्नगत लिखत एक पावर-ऑफ-अटॉर्नी है, यह अनुच्छेद 48(ए) के अंतर्गत आएगा चाहे वह किसी भी क्षमता में निष्पादित किया गया हो, और केवल एक श्रेणी हो, धारा 5 के अंतर्गत कोई सुभिन्न मामला नहीं है।

हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि धारा 5 में "मामला" शब्द का उद्देश्य धारा 6 में "वर्णन" शब्द के समान अर्थ व्यक्त करना था। अपने प्रचलित अर्थ में, अभिव्यक्ति "सुभिन्न मामले" का अर्थ "सुभिन्न

श्रेणियों" से कुछ अलग होगा। दो लेनदेन एक ही विवरण के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी, वे भिन्न हो सकते हैं। यदि A, X को काली एकड़ जमीन बेचता है और सफेद एकड़ Y को गिरवी रखता है, तो लेनदेन विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, और वे सुभिन्न मामले भी हैं। लेकिन यदि A काले एकड़ को X के पास गिरवी रखता है और सफेद एकड़ को Y के पास गिरवी रखता है, तो दोनों लेनदेन एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से सुभिन्न मामले होंगे। यदि विधायिका का इरादा यह था कि धारा 5 में 'सुभिन्न मामलों' की अभिव्यक्ति को इसके लोकप्रिय अर्थ में नहीं बल्कि अनुसूची में विभिन्न श्रेणियों के अर्थ के रूप में समझा जाना चाहिए, तो ऐसा कहने से आसान कुछ भी नहीं होगा। जब किसी क़ानून में दो लगातार प्रावधानों में अलग-अलग अर्थ के दो शब्दों का उपयोग किया गया है, तो यह बनाए रखना मुश्किल होगा कि उनका उपयोग एक ही अर्थ में किया गया है, और निष्कर्ष यह होना चाहिए कि धारा 5 में अभिव्यक्ति "सुभिन्न मामलें" और धारा 6 में "वर्णन" के अलग-अलग अर्थ हैं।

इस निष्कर्ष के विरुद्ध आग्रह किया गया है कि यदि धारा 5 में "मामले" शब्द का अर्थान्वयन "श्रेणियों" या धारा 6 के वाक्यांशविज्ञान में अनुसूची में उल्लिखित "विवरण" के अलावा किसी अन्य अर्थ के रूप में समझा जाता है, तो दोनों धाराओं के मध्य कोई विरोधाभास नहीं हो सकता है और धारा 6 में यह खंड कि यह "अंतिम पूर्ववर्ती खंड के प्रावधान के

अधीन है" अर्थहीन और बेकार होगा। हमें इस तर्क में कोई बल नजर नहीं आता है। हालाँकि धारा 5 और 6 में शामिल विषय अलग-अलग हैं, लेकिन उन लिखतों की कल्पना करना मुश्किल नहीं है जो दोनों धाराओं के तहत निर्धारित होने वाले प्रश्न उठा सकते हैं। इस प्रकार, यदि एक परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित भागीदारी का अन्त हो जाता है और विघटन विलेख के प्रभाव से परिवार की संपत्तियों का विभाजन भी हो जाता है, जैसा कि सचिव, राजस्व बोर्ड बनाम अलगप्पा चेट्टियार (1) मामले में था, तो दस्तावेज को विघटन विलेख और विभाजन विलेख दोनों के रूप में देखा जा सकता है और धारा 6 के तहत, देय शुल्क विभाजन की एक लिखत के रूप में उच्च शुल्क होगा। लेकिन मान लीजिए कि उसी लिखत द्वारा सदस्यों में से कोई अपने हिस्से में आवंटित संपत्तियों पर किसी अन्य सदस्य के पक्ष में उसके व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उधार ली गई धनराशि के लिए भार पैदा कर देता है या बंधक बनाता है, तो यह एक अलग मामला होगा जो धारा 5 को आकर्षित करेगा। अलेकिन बचत खंड के लिए, तर्क को आगे बढ़ाया जा सकता है कि धाराओं 5 और 6 परस्पर अनन्य हैं, और चूंकि लिखत धारा 6 के अंतर्गत आता है, उस पर देय शुल्क केवल विभाजन लिखत जितना है और इससे अधिक नहीं। धारा 6 में इस खंड का उद्देश्य ऐसे किसी भी विवाद को खारिज करना है।

श्री चौधरी द्वारा धारा 3 से 6 में सन्निहित अधिनियम की योजना पर काफी जोर दिया गया और इस दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन किया गया कि धारा 5 में 'मामलों' का अर्थ धारा 6 में 'वर्णन' के समान है। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 3 के तहत शुल्क सभी लिखतों पर नहीं बल्कि उन लिखतों पर लगाया गया है जो अनुसूची में उल्लिखित वर्णन के थे, धारा 4 द्वारा अनुसूची में उल्लिखित तीन श्रेणियों, बिक्री (संवहन), बंधक और समझौते के संदर्भ में एक विशेष प्रावधान अधिनियमित किया गया कि यदि वे एक से अधिक लिखतों में पूरे किए गए है तो उनमें से सभी अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं हैं लेकिन उनमें से केवल एक को मूल दस्तावेज़ कहा जाता है, और धारा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि जब लिखत अनुसूची में दो या अधिक श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो संदेय शुल्क उनमें से किसी एक जिस पर सबसे अधिक हो देय है, इस प्रकार अनुसूची में श्रेणियां वह धुरी है जिस पर पूरी योजना घूमती है, और उस योजना के प्रकाश में धारा की व्याख्या करने में, अभिव्यक्ति "सुभिन्न मामला" सुभिन्न श्रेणियों के रूप में समझा जाना चाहिए। "सुभिन्न मामले" का अर्थ "सुभिन्न श्रेणियों" से अलग लगाने, पर तर्क दिया गया कि यह अधिनियम की योजना में बाहरी अवधारणा को पेश करने के समान होगा। इस तर्क में त्रुटि यह सोचने में निहित है कि धारा 4 से 6 का उद्देश्य और दायरा वह है, जो वास्तव में नहीं हैं। धारा 4 कई लिखतों में पूरे किए गए एकल लेनदेन से संबंधित है और धारा 6 एक

एकल लेनदेन से संबंधित है जिसे एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत आने के रूप में देखा जा सकता है, जबकि धारा 5 केवल तभी लागू होती है जब लिखत में एक से अधिक लेनदेन शामिल हो और इस उद्देश्य के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या वे लेनदेन एक ही श्रेणी के हैं या विभिन्न श्रेणियों के। इस प्रकार तीनों धाराआेंं में दिए गए विषय अलग-अलग हैं, धारा 5 के दायरे को निर्धारित करने या इसकी शर्तों को समझने के लिए धारा 4 या धारा 6 का संदर्भ देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह महत्वहीन नहीं है कि विधायिका ने तीन धाराओं के संबंध में तीन अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया है, धारा 4 में 'लेन-देन', धारा 5 में 'मामला' और धारा 6 में 'वर्णन'।

अपने इस तर्क के समर्थन में कि धारा 5 में 'सुभिन्न मामले' का मतलब केवल सुभिन्न श्रेणियां हैं, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने एंसेल बनाम इनलेंड राजस्व आयुक्त (1) में कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया है। वहां, प्रश्नगत लिखत एक समझौता विलेख था जिसमें कुछ सरकारी प्रतिभूतियों के साथ-साथ अन्य निवेश भी शामिल थे, और वह स्टाम्प अधिनियम, 1891 के तहत समझौता की गई सभी संपत्तियों के मूल्य पर उनके मूल्यानुसार एकल शुल्क के साथ प्रभार्य था। वित्त अधिनियम, 1910 की धारा 74, उप-धारा (1) द्वारा, स्वैच्छिक निपटान पर हस्तांतरण के समान उच्चतर स्टाम्प शुल्क लगाया गया था; लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों

को इस धारा के संचालन से छूट दी गई थी। निर्णय के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या स्टाम्प अधिनियम, 1891 के प्रावधानों के तहत सरकारी स्टॉक के संबंध में वित्त अधिनियम 1910 की धारा 74, उप-धारा (1) के तहत अन्य निवेश होने के कारण भुगतान की गई राशि के अलावा एक अलग शुल्क देय था। इसका सकारात्मक उत्तर देते हुए, जस्टिस रोलेट ने कहा कि:

> "यदि एक ही दस्तावेज़ में दो अलग-अलग वर्गों की संपत्ति को आवंटन के समान शब्दों द्वारा अंतरित किया जा रहा है, और उस दस्तावेज़ में संपत्ति के वे दो अलग-अलग वर्ग स्टाम्प अधिनियम और कराधान के दृष्टिकोण से भिन्न हैं, तो मुझे सामान्य दृष्टि में ऐसा लगता है कि वे सुभिन्न मामले होने चाहिए"।

प्रतिवादी इन टिप्पणियों को इस अर्थ के रूप में पढ़ना चाहता है कि जहां मामलों को स्टांप शुल्क के प्रयोजनों के लिए अलग से नहीं निपटाया जाता है, तो वे सुभिन्न मामले नहीं हैं। हालाँकि, इसका पालन नहीं होता है। अदालत के समक्ष मामला वह था जिसमें लिखत उन संपत्तियों से संबंधित था जो दो श्रेणियों के अंतर्गत आती थीं, और निर्णय यह था कि वे सुभिन्न मामले थे। निर्णय में या ऊपर उद्धृत टिप्पणियों में प्रतिवादी के इस तर्क का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है कि यदि लिखत में एक

ही वर्णन के अंतर्गत आने वाले मामले शामिल हैं, तो इसे सुभिन्न मामलों को समाविष्ट करने वाला नहीं माना जाना चाहिए। रिवर्सनरी इंटरेस्ट सोसाइटी बनाम इनलेंड राजस्व आयुक्त (1) में की गई टिप्पणियों पर भी भरोसा किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि लेनदेन के उद्देश्य से की गई वैधानिक घोषणा एकल स्टांप शुल्क के लिए उत्तरदायी थी। वहां, घोषणा पति और पत्नी द्वारा की गई थी, और जिस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाना था, उसे ध्यान में रखते हुए इसे एक घोषणा के रूप में माना गया था। यह तथ्यों पर लिया गया निर्णय है और इससे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी।

इस दृष्टि से कि धारा 5 तब भी लागू होगी जब लिखत में समान वर्णन के मामले समाविष्ट हों, निर्णय का मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया जाने वाला प्रस्तावित लिखत एक एकल पावर-ऑफ-अटॉर्नी है या उनमें से कई का एक संयोजन है। श्री चौधरी का तर्क यह है कि जब एक लिखत का निष्पादक ग्रहिता को उन सभी मामलों में उसके लिए कार्य करने का सामान्य अधिकार प्रदान करता है जो वह कार्य कर सकता है, तो वास्तव में, केवल एक ही प्रत्यायोजन होता है, और इसलिए उस लिखत को अनुसूची के अनुच्छेद 48(डी) के तहत एकल कर्तव्य के लिए उत्तरदायी एकल पावर-ऑफ-अटॉर्नी के रूप में समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर, अपीलकर्ता का तर्क यह है कि यद्यपि लिखत एक ही व्यक्ति

द्वारा निष्पादित किया गया है, यदि वह कई क्षमताओं को प्रदान करता है और प्रदत्त प्राधिकार सामान्य है, तो उन क्षमताओं में से प्रत्येक के संबंध में उसे अलग-अलग प्रत्यायोजन होंगे, और कि लिखत पर ऐसी प्रत्येक क्षमता के संबंध में देय स्टांप शुल्क का कुल भार संदेय होना चाहिए। सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा तर्क सही है।

हम प्रतिवादी से सहमत होने में असमर्थ हैं कि जब कोई व्यक्ति उन सभी मामलों के संबंध में पावर-ऑफ-अटॉर्नी निष्पादित करता है जिसमें वह कार्य कर सकता है, तो इसे कानूनी रूप में और लिखत की सामग्री की परवाह किए बिना एक ही मामले को समाविष्ट करने वाला माना जाना चाहिए। हमारी राय में, चाहे यह किसी एक मामले से संबंधित है या सुभिन्न मामलों से संबंधित है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि इसमें पक्षकार कौन हैं, वह विषय-वस्तु क्या है जिस पर यह संचालित होता है इत्यादि। इस प्रकार, यदि ए एक पा ॅवर को निष्पादित करता है जो एक्स को एक संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए और वाई को दूसरी संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत करता है, तो वास्तव में दो अलग-अलग मामले होंगे, हालांकि वहां एक व्यक्ति द्वारा निष्पादित केवल एक ही लिखत है। लेकिन यदि एक्स और वाई दोनों सम्पदा के संबंध में संयुक्त रूप से और अलग-अलग कार्य करने के लिए नियुक्त मुख्तयार हैं, तो वहां केवल एक प्रत्यायोजन और एक मामला है, और यह विशेष रूप से

अनुच्छेद 48 (डी) में प्रावधानित किया गया है। इसके विपरीत, यदि कई व्यक्ति एक लिखत को निष्पादित करने में शामिल होते हैं, और उसमें शामिल विषय-वस्तु के बारे में उनके बीच सामुदायिक रुचि है, तो यह एक ही शुल्क के साथ प्रभार्य होगा। यह डेविस बनाम विलियम्स (1), बोवेन बनाम एशले (2), गुड-सन बनाम फोर्ब्स (3) और अन्य मामलों में अभिनिर्धारित किया गया था। लेकिन यदि निष्पादकों के हित अलग-अलग हैं, तो लिखत को सुभिन्न मामलें समाविष्ट करने वाला माना जाना चाहिए। फ्रीमैन बनाम इनलेंड राजस्व आयुक्त(4), के जरिये पाॅवर-ऑफ अटॉर्नी पर समान सिद्धांत लागू करते हुए, एलन बनाम मॉरिसन (5) में यह माना गया था कि जब एक पारस्परिक बीमा क्लब के सदस्यों ने एक ही पाॅवर निष्पादित किया था, तो यह एक मामले से संबंधित था। लॉर्ड टेंटरडन, मुख्य न्यायाधीश ने यह माना कि "वहाँ निश्चित रूप से इस क्लब के सभी सदस्यों को सक्रिय करने का सामुदायिक उद्देश्य था। स्टाम्प अधिनियम की धारा 46(1) के तहत निर्देश में, छत्तीस लोगों द्वारा एक फंड के लिए जिसके संबंध में वे संयुक्त रूप से इच्छुक व्यक्ति थे, निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी को एक ही मामले को समाहित करने वाला माना गया। इसी तरह का निर्णय स्टाम्प अधिनियम, की धारा 46 (2) के तहत निर्देश में दिया गया था, जहां दस मीरासदारों द्वारा एक पावर-ऑफ-अटॉर्नी निष्पादित की गई थी, जो उनके मीरासी अधिकारों से जुड़ी सामुदायिक आय के संग्रह को सशक्त बनाती थी।

दूसरी ओर, जहां अलग-अलग हित रखने वाले कई दानकर्ता अपनी संबंधित संपत्तियों के संदर्भ में एक ही पावर-ऑफ-अटॉर्नी निष्पादित करते हैं, उदाहरण के लिए, जब ए अपनी संपत्ति ब्लैक-एकड़ के प्रबंधन के लिए एक्स को मुख्तयार के रूप में नियुक्त करता है और बी उसी व्यक्ति काे अपनी संपत्ति व्हाइट-एकड़ के प्रबंधन के लिए मुख्तयार के रूप में नियुक्त करता है, तो लिखत को सुभिन्न मामलों को समाविष्ट करने वाला माना जाना चाहिए। स्टाम्प अधिनियम की धारा 46 के तहत निर्देश में यह निर्णित किया गया था। इस प्रकार, यह प्रश्न कि क्या पावर-ऑफ़-अटॉर्नी सुभिन्न मामलों से संबंधित है, इसका निर्णय लिखत की शर्तों और उसके द्वारा प्रदत्त प्राधिकार की प्रकृति और सीमा पर विचार करके किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि अब इस तरह के प्रश्न वित्त अधिनियम, 1927 (17 और 18, जियो. 5, अध्याय 10), धारा 56 में निहित विशेष प्रावधान की दृष्टि से अब इंग्लैण्ड में उत्पन्न नहीं हो सकता है, जो इस प्रकार है:

> "पत्र या पावर ऑफ अटॉर्नी और कमीशन, फैक्टरी शीर्षक के तहत स्टांप शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत या स्टाम्प अधिनियम, 1891 की पहली अनुसूची में अधिदेश या उसकी प्रकृति के अन्य लिखत पर केवल इस कारण से एक से अधिक बार शुल्क नहीं लगाया जाएगा कि लिखत में एक से

अधिक व्यक्तियों को दाता या दानकर्ता के रूप में नामित किया गया है (चाहे संयुक्त रूप से या अलग-अलग या अन्यथा) व इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का या कि वे शक्तियाँ एक से अधिक मामले से संबंधित हैं"।

उपरोक्त के समान इस देश के क़ानून में कोई प्रावधान नहीं है, और यह महत्वपूर्ण है कि यह मानता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी में इस तथ्य के कारण कि इसमें कई दाताओं या दानदाताओं का उल्लेख है या यह एक से अधिक मामलों से संबंधित है सुभिन्न मामले शामिल हो सकते हैं।

अब उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में प्रदर्श-ए पर विचार किया जाए तो निर्धारण का मुद्दा यह है कि क्या इस तथ्य के कारण कि प्रतिवादी ने इसे अलग-अलग क्षमताआेंं में निष्पादित किया है यह माना जा सकता है कि इसमें सुभिन्न मामले समाविष्ट हैं । इस रूप में यह प्रश्न प्राधिकार से रहित है और इसका निर्णय मामले पर लागू प्रचलित सिद्धांतों पर लिया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह स्थापित कानून है कि जब दो व्यक्ति पावर-ऑफ-अटॉर्नी निष्पादित करने में शामिल होते हैं, तो इसमें सुभिन्न मामले शामिल हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि निष्पादनकर्ताओं के हित पाॅवर की विषय-वस्तु में पृथक है या संयुक्त है। इसके विपरीत, यदि एक व्यक्ति दो अलग-अलग क्षमताओं में संपत्ति रखता है, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से असंबद्ध है, उन दोनों के संबंध में एक

पाॅवर निष्पादित करता है, तो लिखत को तार्किक रूप से सुभिन्न मामलों को समाविष्ट करने वाला माना जाना चाहिए। यह आम तौर पर स्वीकृत धारणा के अनुरूप होगा कि सुभिन्न मामले क्या हैं, और यह निश्चित रूप से वह दृष्टिकोण था जो प्रतिवादी ने खुद मामले पर लिया था जब उसने स्पष्ट रूप से इस पाॅवर में वर्णित किया था कि उसने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता और अन्य क्षमताओं दोनों में निष्पादित किया था। लेकिन श्री चौधरी का तर्क है कि यह तथ्य कि प्रतिवादी ने कई क्षमताएं भरी हैं, किसी एकल मामले से संबंधित दस्तावेज़ के चरित्र को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि इसके तहत प्रत्यायोजन को प्रतिवादी जो कुछ भी कर सकता था, वह करने के लिए बढ़ा दिया गया था और इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उसने कुछ संपत्तियों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और कुछ अन्य को ट्रस्टी या निष्पादक के रूप में धारण किया है, क्योंकि उन सभी का कानूनी अधिकार उसे बाद की क्षमता के साथ-साथ पूर्व क्षमता में भी समान रूप से निहित होगा। हम चिंतित हैं कि उन्होंने जो तर्क दिया है, वह उस स्रोत से नहीं है जहां से शीर्षक निकला है, बल्कि उस भंडार से है जिसमें अब यह समाहित है।

यह विषय की तुलना में उसके स्वरूप को अधिक महत्व देना है। जब किसी व्यक्ति को ट्रस्टी नियुक्त किया जाता है, तो संपत्ति का कानूनी अधिकार, अंग्रेजी कानून के तहत, निस्संदेह उसमें निहित होता है; लेकिन

फिर वह इसे *सेस्टुई क्यू ट्रस्ट* के लाभ के लिए रखता है जिसमें साम्यापूर्ण संपत्ति निहित है। भारतीय कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि ट्रस्ट हो सकता है ऑफ वहां ट्रस्टी में कानूनी संपत्ति के निहित होने के बिना भी जैसा कि मठों और मंदिरों के मामले में होता है, ट्रस्ट की प्रकृति में प्रत्ययी संबंध हो सकते हैं। विद्या वरुथी बनाम बालुसामी(1) देखें। ऐसे मामलों में, कानूनी अधिकार संस्था में निहित होता है, महंत या शेबेट उसका प्रबंधक होता है और उसके द्वारा प्राधिकार का कोई भी प्रत्यायोजन केवल उस संस्था की ओर से हो सकता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत क्षमता और प्रतिनिधि क्षमता दोनों होती हैं जैसे कि ट्रस्टी और उन दोनों क्षमताओं में उसके द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन होता है तो कानून में स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि उन मामलों के संबंध में पाॅवर निष्पादित करने में जो असंबंधित हैं, अलग-अलग व्यक्ति शामिल होते हैं। निष्पादक की व्यक्तिगत संपत्ति और उसमें निहित ट्रस्ट संपत्ति के बीच कोई सामुदायिक हित नहीं होने के कारण, उन्हें धारा 5 के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न मामले माना जाना चाहिए। स्थिति वही होती है जब कोई व्यक्ति निष्पादक या प्रशासक होता है, क्योंकि उस क्षमता में वह मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका व्यक्तित्व प्रशासन के प्रयोजनों के लिए उसमें जारी माना जाता है।

श्री चौधरी ने अंत में यह तर्क दिया कि यदि दाता की प्रत्येक क्षमता को एक सुभिन्न मामला माना जाता है, तो हमें यह मानना चाहिए कि न केवल ट्रस्टी, निष्पादक आदि के रूप में निष्पादक की क्षमता के संदर्भ में बल्कि उसके द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में किए गए प्रत्येक लेनदेन के संबंध में भी सुभिन्न मामले हैं। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि यदि वह अपने मुख्तयार को एक संपत्ति बेचने, दूसरी को गिरवी रखने और तीसरी को पट्टे पर देने का अधिकार देता है, तो उसने विक्रेता, गिरवीकर्ता और पट्टेदार के रूप में तीन अलग-अलग क्षमताओं में कार्य किया है, और लिखत पर उसके तीन सुभिन्न मामलों से संबंधित होने की मुहर लगानी होगी। उनका दिया हुआ यह तर्क सामान्य पावर-ऑफ-अटॉर्नी के आधार को ही नष्ट कर देगा। इस तर्क में भ्रांति उस क्षमता जो एक व्यक्ति के पास है और उस क्षमता के आधार पर प्रयोग किए जाने वाले कार्यों के साथ मिलाने में है। उदाहरण के लिए जब एक निष्पादक वसीयतकर्ता के ऋणों का निर्वहन करने के लिए एक संपत्ति बेचता है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए धन जुटाने के लिए दूसरी को गिरवी रखता है, तब इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह दो अलग-अलग लेनदेन कार्य करता है; लेकिन उन दोनों के संबंध में, वह केवल निष्पादक के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करता है। हमारी राय में इस विवाद में कोई दम नहीं है।

परिणामस्वरूप, हमारी राय अधीनस्थ न्यायालय के बहुसंख्य विद्वान न्यायाधीशों से भिन्न है कि लिखत प्रदर्श-ए में उसमें उल्लिखित प्रतिवादी की कई क्षमताओं के संबंध में सुभिन्न मामले समाविष्ट हैं, और राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनाया गया और जस्टिस एस. आर. दास गुप्ता द्वारा समर्थित दृष्टिकोण सही है। यह अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी यहां और अधीनस्थ अदालत में अपीलकर्ता की लागत का भुगतान करेगा।

न्यायमूर्ति भगवतीः- मुझे खेद है कि मैं अभी-अभी दिये गये फैसले में जिस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है उससे सहमत होने में असमर्थ हुं।

मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 के निर्माण और धारा 5 में प्रयुक्त "सुभिन्न मामले" शब्दों के अर्थ से सहमत होते हुए, मेरा विचार है कि प्रश्न अभी भी जीवित है कि क्या प्रश्नगत लिखत एकल पावर ऑफ अटॉर्नी है या उनमें से कई का संयोजन है। जिस तर्क ने पीठ के बहुमत मेरे बंधु न्यायाधीशों को प्रभावित किया है, वह यह है कि यद्यपि लिखत एक व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया है, यदि वह कई क्षमताओं को प्रदान करता है और प्रदत्त अधिकार सामान्य है, तो वह उनमें से प्रत्येक क्षमता के संबंध में अलग-अलग प्रत्यायोजन होगा और लिखत पर ऐसी प्रत्येक क्षमता के संबंध में देय स्टांप शुल्क की कुल राशि वहन करनी होगी। अत्यंत सम्मान के साथ मैं उस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ

हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह सवाल कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी सुभिन्न मामलों से संबंधित है, का निर्णय लिखत की शर्तों और उसके द्वारा प्रदत्त प्राधिकार की प्रकृति और सीमा पर विचार करके किया जाना चाहिए। हालाँकि यह तथ्य कि पावर ऑफ अटॉर्नी का दाता इसे अलग-अलग क्षमताओं में निष्पादित करता है, मेरी राय में यह ऐसे लिखत बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें सुभिन्न मामले समाविष्ट हो और इसलिए उसे अधिनियम की धारा 5 के अर्थ के तहत ऐसे मामलों को समाविष्ट करने वाले या उसके किसी मामले से संबंधित पृथक लिखताेंं पर लागू शुल्कों की कुल राशि से मुद्रांकित किया जाना आवश्यक हो। लेनदेन एक एकल लेनदेन है जिसके तहत दाता, ग्रहिता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग उसका मुख्तयार नियुक्त करता है जो उसके लिए और उसके नाम पर और उसकी ओर से उसकी व्यक्तिगत क्षमता में और किसी भी कंपनी के प्रबंध निदेशक, निदेशक, प्रबंध एजेंट, एजेंट, सचिव या परिसमापक के रूप में उसकी क्षमता में कार्य करते हैं, जिसमें वह है या हो सकने में रूचि ले सकता है इसके बाद पूर्वोक्त किसी भी क्षमता में और साथ ही निष्पादक, प्रशासक, ट्रस्टी या किसी भी क्षमता में, जैसी भी अवसर की आवश्यकता होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, दाता द्वारा आनंदित विभिन्न क्षमताओं को यहां संयोजित किया गया है, लेकिन इससे वह अलग-अलग व्यक्तियों का नियुक्त नहीं करता है, जिससे यह लिखत धारा 5 के उल्लंघन के अंतर्गत आती हो। लिखत के निष्पादक कई व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि केवल एक ही है

- दाता स्वयं, हालांकि वह अलग-अलग क्षमताओं का आनंद लेता है। इन विभिन्न क्षमताओं का उन शक्तियों की प्रकृति और सीमा पर असर पड़ता है जिनका वह प्रयोग कर सकता है। अपनी व्यक्तिगत क्षमता में वह संपत्ति में जो भी अधिकार, शीर्षक और हित प्राप्त करता है, उसके लिए पूर्ण स्वामी के रूप में सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, चाहे वह पूर्ण हित हो या एक तक सीमित, वह संपत्ति का पूर्ण स्वामी हो सकता है, या उसमें उसका आजीवन हित हो सकता है, उसका उसमें बंधक हित या पट्टेदार का हित हो सकता है, वह किसी मकान का प्रमुख स्वामी हो सकता है या केवल लाइसेंसधारी हो सकता है; लेकिन उस संपत्ति में उसका जो भी हित है वह उस पाॅवर की विषय-वस्तु होगा जिसे वह ग्रहिता व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित करता है। वह इस व्यक्तिगत हित के अलावा, जिसका वह उसमें आनंद लेता है, कुछ संपत्ति का ट्रस्टी हो सकता है और ऐसे ट्रस्टी के रूप में वह ऊपर वर्णित कई हितों का भी आनंद ले सकता है। ऐसा हो सकता है कि वह अपनी बारी में ट्रस्ट के मामलों के उचित प्रशासन के लिए लाभार्थियों के प्रति जवाबदेह हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ट्रस्टी के रूप में इन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार नहीं है, ट्रस्ट की संपत्ति उसमें निहित है, और इसलिए वह उसके संबंध में उन सभी शक्तियाेंं का प्रयोग करने की स्थिति में है। यदि वह किसी संपत्ति का निष्पादक या प्रशासक होता और मृतक की संपत्ति पर उसका कब्जा होता, तो भी उसकी यही स्थिति होती। मृतक की संपत्ति उसी में निहित होगी,

हालांकि उससे निपटने की उसकी शक्तियां या तो वसीयतनामा के प्रावधानों या कानून द्वारा उस पर लगाई गई सीमाओं से सीमित होंगी। ये सभी परिस्थितियाँ निश्चित रूप से संपत्तियों से निपटने की उसकी शक्तियों पर सीमाएं लगा देंगी, लेकिन इससे उस स्थिति में कोई कमी नहीं आएगी कि वह उन संपत्तियों से निपटने और उसके संबंध में सभी शक्तियों का उन पर लगाई गई सीमाओं के साथ उन क्षमताओ जिनका वह उपभोग करता है, प्रयोग करने का हकदार है। इसलिए यह इस प्रकार है कि, विभिन्न क्षमताओं का आनंद लेते हुए भी, वह एक ही व्यक्ति है जो विभिन्न क्षमताओं में कार्य करता है और अपने मामलों को विभिन्न क्षमताओं में संचालित करता है जिसका वह आनंद लेता है, लेकिन एक ही व्यक्ति के रूप में। जब वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य कर रहा होता है तो वह एक व्यक्ति नहीं होता; जब वह किसी विशेष संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा हो तो वह दूसरा व्यक्ति नहीं है और जब वह किसी मृत व्यक्ति के निष्पादक या प्रशासक के रूप में कार्य कर रहा है तो वह तीसरा व्यक्ति नहीं है। वह जिस भी क्षमता में कार्य कर रहा है, वह एक ही व्यक्ति है जो विभिन्न मामलों से निपट रहा है, जिनके साथ उसका संबंध है, हालांकि विभिन्न क्षमताओं में निहित संपत्तियों के कारण संपत्तियों से निपटने की उसकी शक्तियों पर लगाई गई सीमाएं भी हैं।

इसलिए मेरी राय है कि प्रश्नगत लिखत में सुभिन्न मामलें शामिल नहीं हैं, बल्कि केवल एक मामला शामिल है और वह मामला दाता द्वारा दान प्राप्तकर्ताओं के पक्ष में एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादन का है, जो दान प्राप्तकर्ताओं को उसके लिए उन सभी क्षमताओं में जिनका वह आनंद लेता है कार्य करने के लिए उसका मुख्तयार बनाता है। जहां तक दाता की सुभिन्न क्षमताओं का सवाल है, प्रश्नगत लिखत को पृथक-पृथक लिखतों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक में सुभिन्न मामला समाविष्ट है या उनसे संबंधित है। एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी में वे सभी कार्य शामिल होते हैं जो दाता द्वारा स्वयं किए जा सकते हैं, चाहे उसकी क्षमता या योग्यता कुछ भी हो और उसे व्यक्तिगत कृत्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है जिसे करने में दाता सक्षम है और जिसे वह अपने लिए और अपने नाम पर और अपनी ओर से करने के लिए अपने मुख्तयार को नियुक्त करता है। यह सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रकृति के भीतर है कि सभी विशिष्ट कार्य जो दाता करने में सक्षम है, एक ही लिखत में शामिल होते हैं जिसे उसके द्वारा निष्पादित किया जाता है, और यदि यही स्थिति है, तो यह तर्कसंगत है कि जो भी कार्य दाता अपनी व्यक्तिगत क्षमता में या प्रशासक ट्रस्टी या निष्पादक के रूप में अपनी प्रतिनिधि क्षमता में करने में सक्षम है वह सभी लिखत के भीतर शामिल है और इस तरह से निपटाए जाने वाले सुभिन्न मामले नहीं हैं जिससे धारा 5 का संचालन आकर्षित किया जा सके।

इसलिए मेरी राय है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में बहुमत न्यायाधीशों द्वारा पहुंचा गया निष्कर्ष सही था और तदनुसार इस अपील को लागत सहित खारिज कर दिया जाए।

न्यायालय द्वारा- बहुमत की राय के अनुसार अपील की यहां और अधीनस्थ न्यायालय में लागत के साथ अनुमति दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंकित दवे (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है

अस्वीकारणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।